

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना
सं 22/2022 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 नवंबर, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, पैरा 7 में, -

(क) शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में 30 नवंबर 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर-1" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फ़ाइनल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-1" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए" के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंको "अप्रैल, 2022 से

अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.स.सीबीआईसी-20/2/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 19/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 28 सितंबर, 2022 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 734(अ), तारीख 28 सितंबर, 2022 द्वारा किये गए थे।